मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /12/2018

कमांक/ /५५९७/2018/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. आस्था यादव, चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.के. सायर जिला विदिशा का एम्स भोपाल में जी.डी.एम.ओ. के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके द्वारा त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 20.11.2018 के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. आस्था यादव का दिनांक **20.11.2018** से तकनीकी आधार पर त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

24 DEC 5963 ADH 28/12/18

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक /2415/५५९७/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 27/12/2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनकी टीप कमांक 3597 दिनांक 24.12.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला विदिशा म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला विदिशा म.प्र.।
8. डॉ. आस्था यादव, चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.के. सायर जिला विदिशा म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 09/11/2018

क्रमांक/2235/ — /2018/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. अशोक कुमार मर्सकोले, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सिवनी द्वारा पारिवारिक कारण से त्याग पत्र हेतु दिनांक 25.10.2018 को प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अशोक कुमार मर्सकोले का दिनांक **25.10.2018** से शासकीय सेवा से त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक /2236/ —/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 09 /11/2018

प्रतिलिपि :—
1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 3250 दिनांक 6.11.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिवनी म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
9. डॉ अशोक कुमार मर्सकोले, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सिवनी म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 09/11/2018

क्रमांक/2233/——/**2018/सत्रह/मेडि–1** :: डॉ. देवेन्द्र तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, सी.एम.एच.ओ. कार्यालय, जिला रायसेन द्वारा विधान सभा चुनाव दिसम्बर 2018–2019 में विधान सभा क्षेत्र देवरी से बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार रह कर चुनाव लड़ने के कारण स्वैच्छा से त्याग पत्र हेतु दिनांक 30.11.2017 एवं 31.8.2018 को प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. देवेन्द्र तिवारी का दिनांक **01.10.2018** से शासकीय सेवा से त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक /2234/—/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 09/11/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 3249 दिनांक 6.11.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला रायसेन म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रायसेन म.प्र.।
9. डॉ देवेन्द्र तिवारी, चिकित्सा अधिकारी, सम.एम.एच.ओ. कार्यालय, जिला रायसेन म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

9/11/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
03
आवक क्र. 5422

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 27/09/2018

क्रमांक एफ 19—30/2018/सत्रह/मेडि—1 :: डॉ. विनोद कुकरेजा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दमोह दिनांक 21.07.2015 से निरंतर अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। डॉ. कुकरेजा द्वारा निजी समस्याओं के कारण आगे अपनी सेवाऐं देने में असमर्थता का उल्लेख कर त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. विनोद कुकरेजा का दिनांक **21.07.2015** से शासकीय सेवा से त्याग—पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 19—30/2018/सत्रह/मेडि—1, भोपाल, दिनांक 27/09/2018

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला दमोह म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला दमोह म.प्र.।
9. डॉ. विनोद कुकरेजा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दमोह म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 27/09/2018

कमांक एफ 19—30/2018/सत्रह/मेडि—1 :: डॉ. नीतूबाला आर्य, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बड़वानी दिनांक 09.08.2013 से निरंतर अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। डॉ. आर्य द्वारा पारिवारिक समस्याओं के कारण आगे अपनी सेवाऐं देने में असमर्थता का उल्लेख कर त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नीतूबाला आर्य का दिनांक **10.09.2013** से शासकीय सेवा से त्याग—पत्र स्वीकृत किया जाता है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
03 OCT 2018
आवक क्र. 5423

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक एफ 19—30/2018/सत्रह/मेडि—1, भोपाल, दिनांक 27/09/2018

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बड़वानी म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बड़वानी म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बड़वानी म.प्र.।
9. डॉ. नीतूबाला आर्य, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बड़वानी म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /08/2018

क्रमांक / /3022/2018/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. अभिषेक जोशी, चिकित्सा अधिकारी, सामु. स्वा.के. सरदारपुर जिला धार का केन्द्र सरकार में चयन होने के फलस्वरूप उनके द्वारा त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 28.06.2018 के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अभिषेक जोशी का दिनांक 30.06.2018 से तकनीकी आधार पर त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक /1801/3022/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 02/08/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 2027 दिनांक 27.07.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला धार म.प्र.।
6. डॉ. अभिषेक जोशी, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.के. सरदारपुर जिला धार म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. स्टाक फाईल।

AN
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13.07.2018

:: आदेश ::

क्रमांक/एफ–19–85/2018/17/मेडि–1:: डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी जिला सिवनी का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था। चयन उपरांत उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी जिला सिवनी में दिनांक 18.05.2011 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 19.05.2011 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6112 दिनांक 21.08.2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी जिला सिवनी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनांक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी जिला सिवनी द्वारा अपना प्रतिवाद उत्तर समयावधि में प्रस्तुत प्रस्तुत न करने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लेते हुए आदेश क्रमांक/706/3196/17/मेडि–1/2018, दिनांक 15.03.2018 द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुये जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई। जांच अधिकारी द्वारा डॉ. दर्शना जैन को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, वे निर्धारित तिथि 17.05.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित हुई। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.2018 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें डॉ. दर्शना जैन ने त्यागपत्र संबंधी समस्त अभिलेख जांच अधिकारी को प्रस्तुत किये एवं दिनांक 01.06. 2012 से स्वेच्छा से त्यागपत्र स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी जिला सिवनी का दिनांक 01.06.2012 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक / एफ–19–85 / 2018 / 17 / मेडि–1,   भोपाल, दिनांक   .07.2018

प्रतिलिपिः– कृपय सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्य प्रदेश, ग्वालियर।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. अपर संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी, म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिवनी, म.प्र.
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिवनी, म.प्र.।
11. डॉ. दर्शना जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवलारी जिला सिवनी, मध्य प्रदेश की ओर पालनार्थ।
12. स्टाक फाईल।

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13.07.2018

:: आदेश ::

क्रमांक/एफ–19–14/2018/17/मेडि–1:: डॉ. दिलीप कुमार त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढीमलहरा जिला छतरपुर का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2005 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था। चयन उपरांत उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढीमलहरा जिला छतरपुर में दिनांक 31.12.2005 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 04.10.2012 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1907 दिनांक 09.02.2018 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ. दिलीप कुमार त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढीमलहरा जिला छतरपुर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनांक 13.02.2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. दिलीप कुमार त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढीमलहरा जिला छतरपुर ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 20.03.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि स्वंय का स्वास्थ्य ठीक न होने से अपनी सेवाऐं देने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनांक 13.07.2016 से ही स्वीकृत किया जाए एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में डॉ. दिलीप कुमार त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी का त्यागपत्र अनुपस्थिति दिनांक 04.10.2012 से स्वीकृत किया जाना एकमात्र विकल्प है।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ. दिलीप कुमार त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढीमलहरा जिला छतरपुर का दिनांक 04.10.2012 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गौरी सिंह) 11/7
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक/एफ–19–14/2018/17/मेडि–1, भोपाल, दिनांक .07.2018

प्रतिलिपिः– कृपय सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्य प्रदेश, ग्वालियर।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. अपर संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, सागर संभाग, सागर, मध्य प्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर, म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला छतरपुर, म.प्र.।
10. डॉ. दिलीप कुमार त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढीमलहरा जिला छतरपुर की ओर पालनार्थ।
11. स्टाक फाईल।

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 06/07/2018

क्रमांक एफ 4– 6/2018/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. दिलीप नीखरा, चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.के. सहेंजला जिला खण्डवा दिनांक 17.1.2012 से निरंतर अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। डॉ. नीखरा द्वारा पारिवारिक समस्याओं के कारण आगे अपनी सेवाऐं देने में असमर्थता का उल्लेख कर त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. दिलीप नीखरा का दिनांक 17.01.2012 से शासकीय सेवा से त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 4– 6/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 06/07/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खण्डवा म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खण्डवा म.प्र.।
9. डॉ. दिलीप नीखरा, पिता श्री जगदलश प्रसाद, 429 प्रकाश मोहल्ला ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
AD 6
02 JUL 2018
आवक क्र. 4783

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक/ /2638/2018/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. सतीश चन्देल, प्रभारी उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल का चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके द्वारा त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 07.04.2018 के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सतीश चन्देल का दिनांक **30.06.2018** से उक्त चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तकनीकी आधार पर त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2/ डॉ. सतीश चन्देल को मूल पद पर नियमानुसार धारणाधिकार एवं सेवा संबंधी लाभ की पात्रता होगी। उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अप. संचा. (प्रशा.) जा. क्र. 3619
दिनांक 2-7-18

पृ0 क्रमांक /1586/2638/2018/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 30 /06/2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 1397 दिनांक 5.6.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र.।
6. डॉ. सतीश चन्देल, प्रभारी उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. स्टाक फाईल।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /05/2018

कमांक एफ 4—1/2018/सत्रह/मेडि—1 :: डॉ. प्रकाश चन्द्र माडिया, चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.के. बड़ागॉव जिला शाजापुर द्वारा पारिवारिक कारण से त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन—पत्र के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. प्रकाश चन्द्र माडिया का दिनांक **13.05.2013** से शासकीय सेवा से त्याग—पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक F04/01/**2017/सत्रह/मेडि—1, भोपाल, दिनांक** 28 **/05/2018**

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।

---

3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर म.प्र. की ओर डॉ. प्रकाश चन्द्र माडिया, निवासी—एफ 10, रजत जयंती काम्पलेक्सव, स्कीम 54 विजयनगर इंदोर को उक्तादेश की प्रति भेजने हेतु अग्रेषितं
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शाजापुर म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शाजापुर म.प्र.।
9. डॉ. प्रकाश चन्द्र माडिया, चि0अ0, प्रा.स्वा.के. बड़ागॉव जिला शाजापुर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॅाक 17/05/2018

:: आदेश ::

क्रमांक– एफ 19–20/2018/17 /मेडि–1:: डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2013 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला राजगढ में दिनॅाक 13.09.2013 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॅाक 26.05.2014 से बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,राजगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 557 दिनॅाक 07.02.2018 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॅाक 13.02.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ ने अपना अभ्यावेदन दिनॅाक 23.03.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिनांक 15.03.2016 को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,राजगढ को प्रस्तुत किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए थे। अतः उनका त्यागपत्र दिनांक 15.03.2016 से स्वीकृत कर लिया जावे ।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.मिथलेश मेहर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ का दिनांक 15.03.2016 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DE Order/RCS/2018/

पृ.क्रमांकः एफ 19–20/2018/17 /मेडि–1 भोपाल,दिनॉक 17/05 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश का विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करायें।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ, म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला राजगढ, म.प्र.
10. डॉ.मिथलेश मेहर,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय,राजगढ़ की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

DE Order/RCS/2018/

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक/7/4/2018

:: आदेश ::

कमांक— 1967 /2018/17 /मेडि–1:: डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2005 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना में दिनॉक 31.12.05 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 14.11.2011 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 6589 दिनॉक 16/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 22/2/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाऐं देने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 14.11.2011 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना का दिनांक 14.11.2011 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.कमांक 19-67/2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक 17/04 /2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं रीवा संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना,,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना म.प्र.

10: डॉ.राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर जिला सतना की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

कमांक– 19-69 /2018/17 /मेडि–1:: डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय जिला सीहोर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2014में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला चिकित्सालय जिला सीहोर में दिनॉक 22/09/2014 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 05/10/2014 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर द्वारा अपने पत्र कमांक 7626 दिनॉक 05/12/2014 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय जिला सीहोर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय जिला सीहोर ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 22/02/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाऐं देने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 22/02/2018 से ही स्वीकृत किया जाए। एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय जिला सीहोर का दिनांक 22.02.2018 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 19-69 /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक 17/04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर,,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीहोर, म.प्र.

10–डॉ.अमित मालवीय, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, सीहोर की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

कमांक— 19-20/2018/17 /मेडि–1:: डॉ.अमित धनौतिया, चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल गरौठ जिला मंदसोर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2011में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने सिविल अस्पताल गरोठ जिला मंदसौर में दिनॉक 24/05/2011 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 24/05/2011 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 7883 दिनॉक 14/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.अमित धनौतिया, चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.अमित धनौतिया, चिकित्सा अधिकारी ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 08/03/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवाऐं देने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 24/05/2011 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतंद व्दारा डा. अमित धनौतिया चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल गरोठ जिला मंदसौर का दिनांक 24.05.2011 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

कमांक– 19-31 /2018/17 /मेडि–1:: डॅा. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरपा जिला नरसिंहपुर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला नरसिंहपुर में दिनॉक 27.04.2011 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 27.07.2011 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 11929 दिनॉक 27/12/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॅा. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 01.03.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॅा. अतिशय जैन,चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 10. 03.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उनका चयन स्नातकोत्तर पाठ्यकम के लिए हो गया है एवं वे अपनी सेवाऍ निरन्तर रखने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 22.12.2017 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नरसिंहपुर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॅा. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर का दिनांक 22.12.02017 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 1931 /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनाँक/17/04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नरसिंहपुर,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.
10. डॉ. अतिशय जैन, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,खुरपा जिला नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

::आदेश ::

भोपाल, दिनांक 17/04/2018

क्रमांक– 1971 / 2018/17/ मेडि–1 डॉ.संतोष कामलिया चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गॉधीसागर जिला मंदसौर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2010 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया। चयन उपरांत उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गॉधीसागर जिला मंदसौर में दिनॉक 21/04/2010 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 20/04/2011 से बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7883, दिनॉक 14/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने कें उपरांत डॉ.संतोष कामलिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरंण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.संतोष कामलिया ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 08/02/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिनॉक 20/04/2011 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए थे। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 20/04/2011 से स्वीकृत कर लिया जाए।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डा. संतोष कामलिया चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीसागर जिला मंदसौर का दिनांक 20.04.11 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ० कमाक | 9-71 /2018/सत्रह/मेडि–1 भोपाल दिनांक 17/04/2018

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव,माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

2– निज सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .

....

3– महालेखाकार,मध्य प्रदेश,ग्वालियर ।

4– आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल

5– संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल

6– अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करावे।

7– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं उज्जैन संभाग, मध्यप्रदेश

8– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मंदसौर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को डॉ.संतोष कामलिया, चिकित्सा अधिकारी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गांधीसागर, जिला मंदसौर को तामिल करवाकर तामिली प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

9– जिला कोषालय अधिकारी,जिला मंदसौर,म.प्र.।

10- डॉ संतोष कामलिया,चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गांधीसागर जिला मंदसौर की ओर पालनार्थ।

11– स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 17/4/2018

:: आदेश ::

कमांक-- 1911/2018/17 /मेडि-1:: डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2000 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनॉक 15.02.2001 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2009 में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 14.10.2015 से ही बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 24745 दिनॉक 22/8/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत दिनॉक 07.02.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 12.03.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे अपनी सेवाएँ निरन्तर रखने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 14.10.2015 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर का दिनांक 14.10.2015 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.कमांक | 9-11 | /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनॉक/ 7 / 04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र.
10. डॉ. रश्मि चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल,महू जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।

11–स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक/17/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक– 1968/2018/17 /मेडि–1:: डॉ. धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से बर्ष 2013 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया था । चयन उपरांत उन्होंने जिला चिकित्सालय खण्डवा में दिनॉक 04.09.2013 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 29.04.2017 से ही बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 7367 दिनॉक 16/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ. धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत दिनॉक 23.01.2018. को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ. धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 13.02.2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उनका चयन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए हो गया है एवं वे अपनी सेवाएँ निरन्तर रखने में असमर्थ हैं। अतः उनका त्यागपत्र दिनॉक 29.04.2017 से ही स्वीकृत किया जाए। उक्त आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए हैं।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद व्दारा डॉ.धर्मेन्द्र धनवारे चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा का दिनांक 29.04.2017 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.कमांक 19-68 /2018/17/मेडि–एक/ भोपाल,दिनांक/7/04 /2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खण्डवा,म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला खण्डवा, म.प्र.
10. डॉ.धर्मेन्द्र धनवारे, चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा की ओर पालनार्थ ।
11. स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

F 1939 दि0 10/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक /~~3197~~/2018/17/मेडि–1:: डॉ.विनोद पिल्लई, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2001 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया। चयन उपरांत उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 26/02/2001से बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6112, दिनॉक 21/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.विनोद पिल्लई के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.पिल्लई ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 01/03/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिनॉक 28/02/2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए थे। अतः उनका त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जाए।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. विनोद पिल्लई चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी का दिनॉक 26/02/2001 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक F19-59 / ~~3197~~ / 2018 / 17 / मेडि–एक / भोपाल,दिनांक 10/4/2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव / सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिवनी, म.प्र.
10. डॉ. विनोद पिल्लई, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी की ओर पालनार्थ ।
11. स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

<u>–:: आदेश ::–</u>

भोपाल, दिनांक /12/2017

क्रमांक/ /3995/2017/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. श्रीमती प्रियंका नीखरा, चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.के. वीरपुर जिला ग्वालियर द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में पी.पी.एम.ओ. के पद पर चयन होने के फलस्वरूप त्याग पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. श्रीमती प्रियंका नीखरा का दिनांक **27.4.2017** से शासकीय सेवा से त्याग–पत्र स्वीकृत करता है।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक / 51 /3995/2017/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 09/09/2018

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
10. डॉ. श्रीमती प्रियंका नीखरा, चि0अ0, प्रा.स्वा.के. वीरपुर जिला ग्वालियर म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AN
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Surjeet/Regi

06 SEP 2018